

न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) नागौर

बइजलास-रामजस बिश्नोई (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद अधीन धारा 188 आर.टी.एक्ट

संख्या :- 70/2018

वादीनी	प्रतिवादीगण
श्रीमती मेवादेवी पत्नी इन्दरराम जाति राव निवासी दियावड़ी तह0 मूण्डवा जिला नागौर	1. महादेवराम पुत्र किशनाराम 2. रामनिवास पुत्र किशनाराम जातियान जाट निवासीगण दियावड़ी तह0 मूण्डवा जिला नागौर। 3. तहसीलदार मूण्डवा।

वकील वादी :- श्री भागीरथ चौधरी

निर्णय

दिनांक :- 18.12.2020

1. वादी ने निम्नानुसार वाद पेश किया :-

I. वादी गांव दियावड़ी तहसील मूण्डवा की निवासी हैं। सरहद मौजा दियावड़ी में मूल खसरा नम्बर 287 रकबा 14-06 बीघा के प्रतिवादी सं. 1 व 2 खातेदार काबिज काश्तकार होने तथा इनके परिवार की जायज जरूरत सारू रूपयों की सख्त आवश्यकता होने से उन्होंने अपनी खातेदारी सुदा कब्जा उक्त ख.नं. 287 में से 1-00 बीघा भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 22.09.2006 को वादी को बैचान कर मौके पर कब्जा सुपुर्द कर दिया तथा वादी को विक्रय की गई 1 बीघा भूमि के पड़ोस भी विक्रय पत्र में दर्ज किये गये। उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर वादी की उक्त 1 बीघा खरीद सुदा भूमि का नामान्तरकरण सं. 581 दर्ज होकर बट्टा नम्बर 287/788 रकबा 1-00 बीघा भूमि राजस्व रेकर्ड में दर्ज होकर म्यूटेशन की पुस्त पर बकायदा वादी की खरोद सुदा भूमि का नक्शा तरमीम कर दर्शाया हुआ है। उसी स्थान पर वक्त खरीद से वादी काबिज हैं।

II. कि इस प्रकार वादी ख.नं. 287/788 रकबा 1-00 बीघा वाके मौजा दियावड़ी की काबिज खातेदार मालिक हुई, रही व हैं। चूंकि वादी अपने परिवार के साथ मजदूरी हेतु बाहर गयी हुई थी व हाल ही में गांव आने पर पता चला कि वादी की उक्त खरीद सुदा कब्जासुदा खातेदारी की भूमि पर बैचान कर्ता प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 मकान आदि निर्माण करने पर आमदा हैं तथा इस हेतु मौके पर मेटेरियल डलवाना शुरू कर दिया तब वादी ने उन्हें ऐसा करने से मना किया व


सहायक कलक्टर (मु.)
नागौर

मौजीज व्यक्तियों को बताया तो उन्होंने प्रतिवादीगण को समझाया जिस पर प्रतिवादी सं. 1 व 2 एक बार तो मान गये लेकिन पिछले 5-7 दिनों से प्रतिवादी सं. 1 व 2 वादी को विक्रय की गई वादी की खातेदारी की उक्त भूमि पर रास्ते से चिपता मकान आदि निर्माण करने में आमदा हो गये व खुली धमकिया दे रहे हैं व समझाने पर टंटा फिसाद करते हैं, जबकि प्रतिवादीगण को वादी की कब्जा सुदा खातेदारी भूमि से उसे बेदखल कर जबरन कब्जा, निर्माण, बाधा, अवरोध करने वादी को कब्जा उपयोग व उपभोग में दखल करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। वादी की उक्त खरीदसुदा भूमि के पूर्वी तरफ आम ग्रेवल सड़क बनी हुई है तथा उसके पूर्वी तरफ प्रतिवादी सं. 1 व 2 की कोई खातेदारी की भूमि नहीं है जो विक्रय पत्र में दर्ज पड़ौस से भी स्पष्ट है। इसके बावजूद वादी की खरीदसुदा भूमि प्रतिवादी सं. 1 व 2 धनबल व बाहुबल के आधार पर कानून को हाथ में लेकर जबरन कब्जा कर वादी को तरमीसुदा, खरीदसुदा भूमि से बैदखल कर आगे खिसकाना चाहते हैं व उसकी भूमि पर मकान निर्माण करवाना चाहते हैं। इसलिए वादी के विविध अधिकारों पर खतरे के बादल मंडराने लग गये, जिससे वादी को यह वाद प्रतिवादीगण को उक्त अवैध कृत्य करने व कराने से जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के सदैव के लिए रूकवाने व ऐसा कोई अवरोध कर देवे तो उसे हटवाने हेतु पेश करना आवश्यक हुआ है।

III. कि वादी उपरोक्त तमाम तथ्यों, परिस्थितियों, मौके की स्थिति, राजस्व रेकॉर्ड, म्यूटेशन व उसकी पुश्त पर दर्ज तरमीम सुदा नक्शा आदि से प्रथम दृष्टया वाद वादी के पक्ष में है। प्रतिवादीगण वादी की कमजोरी व महिला जात होने का नाजायज फायदा उठाकर उसको बैचान की गई भूमि पर कब्जा कर मौके पर किसी प्रकार का अवैध निर्माण करने या वादी को बेदखल करने में कामयाब हो गये तो वादी को अपूरणीय क्षति होगी, जिसकी पूर्ति किसी प्रकार के मुआवजे से पूरी नहीं की जा सकेगी। अनावश्यक मुकदमेबाजी बढेगी, क्योंकि प्रतिवादीगण वादी को बेदखल कर उसकी खरीद सुदा भूमि सहित अन्य सरकारी भूमि पर कब्जा कर बड़े भू भाग में निर्माण करना चाहते हैं, जो कृत्य स्पष्ट रूप से गैर कानूनी है, इसलिए सुविधा का संतुलन भी प्रतिवादीगण का ऐसा करने से रोके जाने में ही है।

IV. कि बिनाय वाद बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण, प्रतिवादीगण वादी की खरीद सुदा, कब्जा सुदा खातेदारी की भूमि ख.नं. 287/788 रकबा 1-00 बीघा भूमि पर अवैध कृत्य करने पर काफी समय से आमदा होने व पिछले 56-7 दिनों से खुली धमकियां देने, मौके पर मेटेरियल डलवा देने व समझाने के बावजूद नहीं मानने, टंटा फिसाद करने से समय-समय पर सरहद मौजा दियावड़ी तहसील मूण्डवा में पैदा हुआ जिससे अन्दर म्याद पेश है।

2. वाद दर्ज रजिस्टर करके प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी सं. 1 से 3 के सम्मन विधिवत तामिल होने के बावजूद उनके उपस्थित नहीं होने से दिनांक

01.07.2019 को उनेक विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही का आदेश दिया गया तथा साक्ष्य वादी का अवसर दिया गया।

3. दिनांक 09.08.2019 को वादी ने साक्ष्य में अपना शपथ-पत्र (P.W. 1) अधीन आदेश 18 नियम 4 सीपीसी का पेश किया। मुख्य परीक्षण दिनांक 02.09.2019 में अंकित कराया गया "वादीनी द्वारा वाद के साक्ष्य में अपना शपथ-पत्र पेश करना व शपथ-पत्र में दर्ज तमाम तथ्य सही होना व जिस पर X स्थान पर अपना अंगूठा निशान होना स्वीकार किया। वादीनी द्वारा वाद के साथ प्रस्तुत खतौनी सम्वत 2072-75 प्रदर्श-1 हैं व नामान्तरकरण सं. 581 प्रदर्श-2 हैं एवं नजरी नक्शा प्रदर्श-3 हैं। वादीनी का वाद माफिक इस्तदुआ स्वीकार किया जावे। जिरह अनुपस्थित, पूर्व में एकतरफा। वादीनी ने साक्ष्य स्वरूप शपथ-पत्र में वाद के तथ्यों को दोहराया हैं तथा प्रस्तुत दस्तावेज मुख्य परीक्षण में दस्तावेजों को प्रदर्शित कराया हैं।"
4. दिनांक 14.12.2020 को वकील वादी की बहस सुनी गई। वकील वादी ने बहस में बताया कि उसने प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 से वाजिब प्रतिफल पर एक बीघा भूमि निश्चित पड़ौसों के बीच की खरीद की थी तथा रिकर्ड में अमल दरामद होकर तरमीम हो चुकी हैं, उसी स्थान पर वादी को कब्जा दे दिया तथा वादी काबिज हैं। प्रतिवादी सं. 1 व 2 उसे उस स्थान से आगे सरकाकर कब्जा करना चाहते हैं, जो नाजायज व गैर कानूनी कृत्य हैं। अतः प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा इस हेतु पाबंद करें तथा मौके पर किसी भी प्रकार का कच्चा-पक्का निर्माण करने से प्रतिवादीगण को रोका जावे।
5. हमने पत्रावली का अध्ययन किया तथा वकील वादी की बहस पर मनन किया। प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने ही वादी को भूमि बैचान की थी तथा कब्जा मौके पर दिया था तथा वे ही वादी के कब्जा काशत में दखलदांजी कर रहे हैं, जो गैर कानूनी हैं।

अतः प्रतिवादी सं. 1 व 2 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता हैं कि वे वादी की खरीद व तरमीम सुदा भूमि ग्राम दियावड़ी के ख.नं. 287/788 रकबा 1-00 बीघा को वादी के उपयोग व उपभोग एवं कब्जा में किसी प्रकार की दखलदांजी न ही स्वयं करें तथा न अन्य से करावे।

इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 18.12.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनवाया गया।

(रामजस बिश्नोई)

आर.ए.एस.
सहायक कलेक्टर (मु.)
नागौर